विषय : ट्रेनिंग कोर्सिज पर आई0ए0एस0/एच0सी0एस0 अधिकारियों को भेजा जाना ।

क्या वित्तायुक्त हरियाणा सरकार तथा सभी आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, कृपया उपर्युक्त विषय की ओर ध्यान देंगे ?

2. राज्य सरकार को भारत सरकार की ओर से तथा कई एक संस्थाओं से ट्रेनिंग कोर्सिज पर अधिकारियों को भेजे जाने के लिए प्रस्ताव प्राप्त होते हैं । यह ट्रेनिंग कोर्सिज दो प्रकार के होते हैं । एक वे जो विदेश में हों और दूसरे वे जो भारत के अन्दर ही कई एक संस्थाओं द्वारा आयोजित किए जाते हैं । राज्य सरकार के आ0सा0 क्रमांक 3776 राज (3) दिनांक 19-5-1975 द्वारा ये हिदायतें जारी की गई हुई हैं कि जब कभी भी किसी सरकारी कर्मचारी/अधिकारी को विदेश में ट्रेनिंग कोर्स पर भेजा जाना हो तो इस सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री महोदय के आदेश प्राप्त किए जायें ।

3. यह देखने में आया है कि कई एक विभाग आई0ए0एस0/एच0सी0एस0 अधिकारियों के सम्बन्ध में भी उपरोक्त ट्रेनिंग कोर्सिज के लिए चाहे वे देश में हों या विदेश में, अपनी सिफारिशें सीधे ही भारत सरकार/संस्थाओं को भेज देते हैं । आई0ए0एस0/एच0सी0एस0 अधिकारियों के कंट्रोलिंग आफिसर मुख्य सचिव हैं । अतः यह आवश्यक है जब कभी भी किसी आई0ए0एस0/एच0सी0एस0 अधिकारी के नाम की सिफारिश किसी ट्रेनिंग कोर्स के लिए की जानी हो, चाहे वह कोर्स देश में हो या विदेश में, तो इस प्रकार की सिफारिश भेजने से पहले मुख्य सचिव/मुख्य मन्त्री महोदय के आदेश (राजनैतिक शाखा के माध्यम से) अवश्य प्राप्त किए जाएं ।

4. उनसे अनुरोध है कि वे कृपया उपरोक्त हिदायतें सभी कर्मचारियों/अधिकारियों के ध्यान में लायें और उन्हें यह निदेश दे दें कि वे इन हिदायतों का दृढ़ता से पालन करें और जब कभी भी किसी आई0ए0एस0/एच0सी0एस0 अधिकारी के नाम की सिफारिश किसी ट्रेनिंग कोर्स के लिए की जानी हो तो उसके सम्बन्ध में मुख्य सचिव (राजनैतिक शाखा के माध्यम से) की अनुमति अनिवार्य रूप से प्राप्त की जाये ।

हस्ता/-
उप सचिव, राजनैतिक तथा सेवाएं,
कृते मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1. वित्तायुक्त हरियाणा सरकार ।
2. सभी आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार ।

अ0 शा0 क्रमांक 33/206/78-पोल (3) दिनांक चण्डीगढ़ 27-10-78

प0 क्रमांक 31/206/78-पोल (3) दिनांक चण्डीगढ़ 27-10-78

उक्त की प्रति हरियाणा राज्य के सभी विभागाध्यक्षों/बोर्डज, निगमों व फैडरेशनज़ के प्रबन्धक निदेशकों/अध्यक्षों को सूचनार्थ एवं पालना हेतु भेजी जाती है ।

हस्ता/-
उप सचिव राजनैतिक तथा सेवाएं,
कृते मुख्य सचिव हरियाणा सरकार।